

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, सितम्बर 6—सितम्बर 12, 2015, शनिवार/भाद्र 15—भाद्र 21, 1937
No. 36] NEW DELHI, SEPTEMBER 6—SEPTEMBER 12, 2015, SATURDAY/BHADRA 15—BHADRA 21, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 174.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 1983, को जहां तक उनका संबंध के पद से है को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक समूह 'ख पद' भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति.—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कनिष्ठ अनुवादक	*3 (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अन्नसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. ग्रेड वेतन - 4200/- रुपये	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण 1- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवक के मामले में 5 वर्ष	अनिवार्य: अंग्रेजी अनिवार्य या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में ऐच्छिक विषय के साथ हिंदी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री।	लागू नहीं होता

किया जा सकता है।					तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	या हिंदी अनिवार्य या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में ऐच्छिक विषय के साथ अंग्रेजी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री। या हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम और हिंदी अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में मास्टर डिग्री। या हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री में हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में। और हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र। या हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में केन्द्रीय सरकार के उपक्रम, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्य का दो वर्ष का अनुभव टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा	
-------------------------	--	--	--	--	---	--	--

					में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
--	--	--	--	--	--	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर / विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो ;	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव, (विपणन) एवं कृषि विपणन सलाहकार -अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), विपणन निरीक्षण निदेशालय -सदस्य 3. उप सचिव/ निदेशक (विपणन), कृषि एवं सहकारिता विभाग -सदस्य	प्रतिनियुक्ति पद किसी अधिकारी की नियुक्ति किए जाते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
टिप्पण:- दो वर्ष की अवधि जिसमें दो सप्ताह की अवधि का आवश्यक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना				

भी सम्मिलित होगा।		या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास स्तंभ(7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। टिप्पण - 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, अल्पकालिक संविदा सहित जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) टिप्पण-2:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01		
--------------------------	--	---	--	--

		जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		
--	--	--	--	--

[फा. सं. 12018/2/2012-एम.]

मीना के. करकेटा, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 4th September, 2015

G.S.R. 174.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Directorate of Marketing and Inspection (Junior Hindi Translator) Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator, in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, Directorate of Marketing and Inspection, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Directorate of Marketing and Inspection, Junior Translator, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior Translator.	*3 (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300-34800/- Plus grade pay of Rs. 4200/-	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government.) Note – The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep).	<u>Essential:</u> Master's degree in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level from a recognized University. OR Master's degree in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level from a recognized University. OR Master's degree in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level from a recognized University; OR Master's degree in any subject other than Hindi or English, with English Medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level from a recognized University; OR Master's Degree in any subject other than Hindi or English, with Hindi

						and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level from a recognized University; AND Diploma or Certificate Course in Translation from Hindi to English and from English to Hindi or two years' experience of translation work from Hindi to English and English to Hindi in Central or State Government offices, including Government of India Undertaking. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission/competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment : or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for Direct Recruits. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By deputation failing which by direct recruitment	<u>Deputation :</u> Officers under the Central or State Governments or Union Territories – A. (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (II) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-I, Rs.5200-20200/- with grade	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : – (1) Joint Secretary (Marketing)-cum-Agricultural Marketing Adviser -Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

			pay of Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre/department; or (III) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-I Rs.5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- or equivalent in the parent cadre/department, and (B) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications). Note 2 : For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	(2) Director (Administration) -Member; (3) Deputy Secretary/ Director (Marketing), DAC -Member.	
--	--	--	---	---	--

[F. No. 12018/2/2012-M.I]

MEENA K. KERKETTA, Under Secy.